बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक------------

संख्या–3/आ01–146/2016----------/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पीत पत्र सं0–1484 दिनांक 12.09.2016 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों यथा ''सुपौल जिला में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का अगस्त माह तक का वेतन भुगतान दिनांक 04.09.2016 तक नहीं करने संबंधी आरोपों'' के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत मों जाहिद हुसैन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

2. निलंबन अवधि श्री मो0 हुसैन का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. श्री मो0 हुसैन को उक्त नियमावली के नियम–10 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि के मुख्यालय से देय होगा।

4. नियमित पदस्थापन होने तक श्री मो हारूण, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सुपौल के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल का प्रभार (वितीय अधिकार सहित) दिया जाता है।

5. श्री मो0 हुसैन के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/–
(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक----903----- **पटना, दिनांक**–05/10/16

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक (मा0शि0)/निदेशक (प्रा0शि0)/निदेशक (शोध एंव प्रशिक्षण)/निदेशक (जन शिक्षा)/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं प्रशाखा–03 शिक्षा विभाग, बिहार पटना/मो0 जाहिद हुसैन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/श्री मो0 हारूण, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सुपौल एवं आई0टी0 मैनेजन, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/X/2016

(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव